भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 896

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत संशोधन अधिनियम

†896. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच की है कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 में परिकल्पित एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस जारी करने से सरकारी वितरण कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा जो घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए उच्च शुल्क का कारण बनेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के तहत, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस प्रदान करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है। हालांकि, वर्तमान में, एक ही क्षेत्र में लाइसेंसधारियों को अलग-अलग नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे दोहराव और अन्यथा खर्चे होते हैं। इसका समाधान करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारियों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा लागू नेटवर्क शुल्क और नियामक निरीक्षण के भुगतान के अधीन, अपने या साझा नेटवर्क के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस प्रस्ताव में मौजूदा सरकारी या निजी वितरण लाइसेंसधारियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि वितरण नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को एसईआरसी द्वारा निर्धारित नेटवर्क शुल्क देने होंगे।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 के तहत, राज्य सरकारों द्वारा घरेलू और कृषि सहित विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देकर सहायता की छूट रहेगी, ताकि किसी भी उपभोक्ता समूह पर अनुचित बोझ न पड़े।

****